

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/69/2020

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-


श्री राजेश यादव पुत्र श्री बुद्धराम यादव, लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला  
ग्राम पोस्ट कायसा, तहसील नीमराना, रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर  
जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 22.12.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2020 प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.10.2020 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 32311 दिनांक 21.12.2020 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 के क्रम में की कार्यवाही की सूचना/अपेक्षित सूचना संलग्न कर भिजवाई जाकर सूचना की प्रति अपीलार्थी को दी गई है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है साथ ही जिला रसद अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा उक्त कार्यवाही का अभाव रहा है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(नन्मल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर, अलवर